



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2026/D-205

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272942 दिनांक 20/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sunita Choudhary W/o Shakti Singh	श्रीमती शकुन्तला जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन	1072	200.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE PALDI PARSA) Sector/Block-	Name Transfer	सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1072 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 193 दिनांक 13.06.2024 को श्रीमती शकुन्तला जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन के पक्ष में जारी की गई थी। (1) श्रीमती शकुन्तला जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1072 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्रीमती कौमल मैनानी पत्नी श्री सुरेश मैनानी को विक्रय



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कर दी गई है।  
(2) श्रीमती कौमल  
मैनानी पत्नी श्री  
सुरेश मैनानी  
द्वारा सेज  
पुनर्वास योजना  
ग्राम पालडी परसा  
के आवासीय  
भूखण्ड संख्या  
1072 क्षेत्रफल  
200 वर्गमीटर  
भूमि जरिये  
रजिस्टर्ड विक्रय  
पत्र क्रमांक  
202503021118  
400 दिनांक  
07.08.2025 से  
श्रीमती सुनीता  
चौधरी पत्नी श्री  
शक्ति सिंह को  
विक्रय कर दी गई  
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Sunita Choudhary W/o Shakti Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |